रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/98 REGD. NO. D. L.-33004/98

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

CENTRAL SECRETARIAT LIBRARY GOVT. OF INDIA

सं० 142] नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 27, 1998/वैशाख 7, 1920

No. 142] NEW DELHI, MONDAY, APRIL 27, 1998/VAISAKHA 7, 1920

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 अप्रैल, 1998

सं. 12/98-सीमा शुल्क

सा. का. नि. 219 (अ).— केन्द्रीय सरकार, सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, एतद्द्वारा निदेश देती है कि इस अधिसूचना के साथ संलग्न सारणी के कालम (2) में विनिर्दिष्ट भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचनाओं में से प्रत्येक अधिसूचना को उक्त सारणी के कालम (3) में दी गई संगत प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट ढंग से यथास्थिति, संशोधित अथवा और आगे संशोधित किया जाएगा।

सारणी

क्रम सं.	अधिसूचना संख्या और तारीख	संशोधन
1	2	3
1.	277/90-सी०शु० तारीख 12 दिसम्बर, 1990	उक्त अधिसूचना में, पैराग्राफ 2 में, स्पष्टीकरण में, खण्ड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात् :— "(ख) शतप्रतिशत निर्यातोन्मुख उपक्रमों" का आशय किसी ऐसे उपक्रम से है जिसे यथास्थिति अनुमोदन बोर्ड द्वारा अथवा संबंधित विकास आयुक्त द्वारा उसी रूप में अनुमोदित किया गया हो।"
2.	अधिसूचना सं. 126/94-सी०शु०, तारीख 3 जून, 1994	उक्त अधिसूचना में, प्रारंभिक पैराग्राफ में शब्दों, अक्षरों, कोष्ठकों और अंकों "भारत सरकार के पूर्ववर्ती उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) की अधिसूचना संख्या का. आ. 163 (अ)/आर एल आई यू/10(2) 76 तारीख 3 मार्च, 1976 द्वारा नियुक्त शतप्रतिशत निर्यातोन्मुख उपक्रमों के लिए अनुमोदन बोर्ड द्वारा अनुमोदित शतप्रतिशत निर्यातोन्मुखी उपक्रमों द्वारा" के स्थान

पर निम्नलिखित शब्दों, अक्षरों, कोष्ठकों और संख्याओं को रखा जाएगा, अर्थात् :—

"यथास्थिति भारत सरकार के पूर्ववर्ती उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) की अधिसूचना सं. का. आ. 163(अ)/आर एल आई यू/10(2)76, तारीख 3 मार्च, 1976 द्वारा नियुक्त शतप्रतिशत निर्यातोन्मुख उपक्रमों के लिए अनुमोदन बोर्ड अथवा संबंधित विकास आयुक्त द्वारा अनुमोदित शतप्रतिशत निर्यातोन्मुख उपक्रमों द्वारा"

3. अधिसूचना सं. 196/94-सी०शु०, तारीख 9 दिसम्बर, 1994

उक्त अधिसूचना में, प्रारंभिक पैराग्राफ में शब्दों, कोष्ठकों, अक्षरों और संख्याओं "भारत सरकार के पूर्ववर्ती उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) की अधिसूचना का. आ. सं. 163(अ)/आर. एल.आई. यू./10(2)/76, तारीख 3 मार्च, 1976 द्वारा नियुक्त शतप्रतिशत निर्यातोन्मुख उपक्रम अनुमोदन बोर्ड द्वारा अनुमोदित शतप्रतिशत निर्यातोन्मुख उपक्रमों द्वारा" के स्थान पर निम्नलिखित शब्दों, कोष्ठकों, अक्षरों और संख्याओं को रखा जाएगा, अर्थात् :—

"यथास्थिति भारत सरकार के भूतपूर्व उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) की अधिसूचना का. आ. सं. 163(अ)/आर एल आई यू/10(2)76, तारीख 3 मार्च, 1976 द्वारा नियुक्त शतप्रतिशत निर्यातोन्मुख उपक्रम अनुमोदन बोर्ड अथवा संबंधित विकास आयुक्त द्वारा अनुमोदित शतप्रतिशत निर्यातोन्मुख उपक्रमों द्वारा"

4. अधिसूचना सं. 53/97-सी०शु०, तारीख 3 जून, 1997

(क) उक्त अधिसूचना में, प्रारंभिक पैराग्राफ में "इस प्रयोजन के लिए भारत सरकार, उद्योग मंत्रालय, औद्योगिक नीति एवं संवर्द्धन विभाग की अधिसूचना द्वारा नियुक्त शतप्रतिशत निर्यातोन्मुख एककों के लिए अनुमोदन बोर्ड द्वारा अनुमोदित शतप्रतिशत निर्यातोन्मुख एककों द्वारा" शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित शब्दों को रखा जाएगा :—

"इस प्रयोजन के लिए यथास्थिति, भारत सरकार, उद्योग मंत्रालय; औद्योगिक नीति एवं संवर्द्धन विभाग की अधिसूचना द्वारा नियुक्त शतप्रतिशत निर्यातोन्मुख एककों के लिए अनुमोदन बोर्ड अथवा संबंधित विकास आयुक्त द्वारा अनुमोदित शतप्रतिशत निर्यातोन्मुख एककों द्वारा"।

(ख) प्रारंभिक पैराग्राफ में, शर्त संख्या (8), के स्थान पर निम्नलिखित शर्त रखी जाएगी, अर्थात् :—

"(8) सहायक आयुक्त, सीमाशुल्क निम्नलिखित की अनुमति दे सकता है :—

(i) भारत में आयातित माल अथवा आंशिक रूप से संसाधित अथवा विनिर्मित माल अथवा उससे पैक किए गए माल को अन्तिम उत्पाद के विनिर्माण के लिए आश्यक परीक्षण, मरम्मत, परिवर्द्धन, प्रसंस्करण, प्रदर्शन, उजरती काम अथवा किसी अन्य काम के प्रयोजन के लिए शुल्क की अदायगी के बिना अस्थायी रूप से संबंधित शतप्रतिशत निर्यातोन्मुख एकक से बाहर ले जाने और उसी एकक में वापस लाने की अनुमति दे सकता है बशर्ते कि इस संबंध में उसके द्वारा यथा-विनिर्दिष्ट शर्तों एवं परिसीमाओं का अनुपालन किया जाता हो।

(ii) सांचों, जिगों, औजारों, फिक्सचरों, टैकलों, उपकरणों, हैंगरों और पैट्रनों तथा रेखाचित्रों को उप-संविदाकारों के परिसरों में ले जाने की अनुमति दे सकता है बशर्ते कि इस माल को निर्यातोन्मुख एककों के बांडिड परिसरों में निर्धारित अवधि के भीतर उजरती काम पूरा होने पर वापस लाया जाएगा";

(ग) पैराग्राफ 3 और स्पष्टीकरण के बाद, निम्नलिखित पैराग्राफ जोड़ा जाएगा, अर्थात् :—

"(3क) सहायक आयुक्त, सीमाशुल्क प्रशिक्षण (वाणिज्यिक प्रशिक्षण) सहित के प्रयोजन के लिए कंम्प्यूटर प्रणाली का उपयोग करने की अनुमति दे सकता है बशर्ते कि उक्त प्रयोजन के लिए बांडिड परिसरों के बाहर कोई कंप्यूटर, टर्मिनल